प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 18.11.23

थाना लिंक रोड पुलिस द्वारा बसो में मोबाइल / बैग चोरी करने वाले 03 शातिर चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी के 11 मोबाइल व 8 बैग बरामद ।

दिनांक 17.11.2023 को वादी श्री धर्मवीर सिंह पुत्र मेघ सिंह नि0 म0न09 सीब्लाक कुतव विहार फेस -1 गोयला डेरी खुर्द साउथ वेस्ट दिल्ली द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर कौशाम्बी बस डिपो से बैग चोरी करने के सम्बन्ध मे नामजद अभि0 1-मनीष 2-साँवत 3- अय्यूब के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत कराया था। उक्त घटना को गंभीरता से लेते हुए टीमों का गठन किया गया, सीसीसीटीवी फुटेज व मुखबीर की सूचना पर पर दिनांक 18.11.2023 को उक्त घटना में संलिप्त अभियुक्तगण 1. मनीष पुत्र रतन सिंह निवासी A-8/263 इस्ट गोकुलपुर दिल्ली 94 उम्र 22 वर्ष 2. अय्यूब पुत्र मकबूल निवासी गांव नका नया गांव थाना सितारगंज जिला उधमसिंह नगर उत्तराखण्ड उम्र 34 वर्ष 3. सांवत पुत्र सुरेन्द्र शाह निवासी किराये का मकान ईएफ 5 भोवापुर अजीत सिंह का किराये का मकान थाना कौशाम्बी गाजियाबाद उम्र 23 वर्ष को बन्द पडे सिनेमा हाल महाराजपुर से गिरफ्तार किया गया तथा अभि0गण के कब्जे से चोरी किये हुये 11 मोबाइल फोन , 08 बैग व 2 बोरे कपडो के बरामद किये गये।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1. **मनीष पुत्र रतन सिंह निवासी A-8/263 इस्ट गोकुलपुर दिल्ली 94 उम्र 22 वर्ष**
2. **अय्यूब पुत्र मकबूल निवासी गांव नका नया गांव थाना सितारगंज जिला उधमसिंह नगर उत्तराखण्ड उम्र 34 वर्ष**
3. **सांवत पुत्र सुरेन्द्र शाह निवासी किराये का मकान ईएफ 5 भोवापुर अजीत सिंह का किराये का मकान थाना कौशाम्बी गाजियाबाद उम्र 23 वर्ष**

बरामदगी का विवरणः-

1. **11 मोबाइल फोन चोरी किये हुये**
2. **8 बैंग**
3. **2 बोरे कपडो के**

गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम-

थाना लिंकरोड पुलिस टीम

-"ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत गाजियाबाद पुलिस की सशक्त एवं प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को करायी गयी 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं ₹ 10,000/- अर्थदण्ड की सजा —

- दिनांक - 10.10.2021 को वादी श्री मौ0 सलीम पुत्र नूर मौहम्मद के प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना कौशांबी पर अभियोग अन्तर्गत धारा 363 भादवि पंजीकृत किया गया। जिसमें दौराने विवेचना धारा 376 भादवि व 5/6 पोक्सो अधिनियम की वृद्धि की गयी। अभियुक्त वीरेश पुत्र रामकिशन निवासी ग्राम हुसैनपुर थाना दादो जनपद अलीगढ़ हाल पता रामवीर सिंह के मकान में किरायेदार ग्राम भोवापुर थाना कौशाम्बी को दिनांक 02.11.2021 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था।
- उपरोक्त अभियोग में अभियुक्त को गिरफ्तार कर आरोप पत्र दिनांक - 06.12.2021 को मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया था।
- अभियोजन विभाग से समन्वय करके समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर प्रभावी पैरवी किए जाने के फलस्वरूप दिनांक 03.01.2022 को आरोप तय कर मा0 न्यायालय विशेष न्यायधीश पोक्सो अधिनियम जनपद गाजियाबाद पीठासीन अधिकारी श्री हर्षवर्धन व एस0पी0ओ0 श्री संजीव कुमार बाखरवा व कोर्ट पेरोकार म0है0का0 2404 रंजीत कौर द्वारा दिनांक 18.11.2023 को अभियुक्त वीरेश पुत्र रामकिशन निवासी ग्राम हुसैनपुर थाना दादो जनपद अलीगढ़ हाल पता रामवीर सिंह के मकान में किरायेदार ग्राम भोवापुर थाना कौशांबी को 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं ₹ 10,000/- अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया है अर्थ दण्ड अदा न करने पर 2 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भोगेगा।

थाना मसूरी पुलिस द्वारा एक स्कूटी एक्टिवा पर सवार 02 अपराधियो से हुई मुठभेड़ मे 01 अपराधी गोली लगने से हुआ घायल/ गिरफ्तार, कब्जे से 01 अवैध शस्त्र एवं चोरी की स्कूटी बरामद

दिनांक 18-19/11/2023 की रात्रि मे मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान चौकी जेल से नाहल जाने वाले रास्ते पर वम्वा नहर के पास थाना मसूरी पुलिस द्वारा अपराधियों से हुई मुठभेड़ मे 01 अभियुक्त गुफरान उर्फ डब्बू पुत्र इरफान निवासी यासीन गढी कस्बा डासना थाना वेवसिटी, गाजियाबाद उम्र 28 वर्ष मुठभेड़ के दौरान पैर मे गोली लगने से घायल अवस्था मे गिरफ्तार हुआ है तथा दूसरा साथी मौके से भागने में सफल रहा। मुठभेड़ में घायल / गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व से जनपद हापुड़ , गौतमबुद्धनगर एंव गाजियाबाद में चोरी ,लूट ,डकैती , गैंगस्टर के 15 अभियोग दर्ज हैं।

बरामदगी का विवरण

1- स्कूटी एक्टिवा (दिल्ली से चोरी)

2- 01 तमंचा मय 2 जिंदा व 2 खोखा कारतूस

गिरफ्तार करने वाली टीम

थाना मसूरी पुलिस टीम।

थाना निवाड़ी पुलिस द्वारा वर्दी पहन कर अवैध वसूली करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 18.11.23 को थाना निवाड़ी पर वादी श्री महेन्द्र सिंह पुत्र श्रीचन्द्र निवासी ग्राम चित्तोडा थाना जानसठ जनपद मुजफ्फर नगर ने तहरीर दी कि एक व्यक्ति द्वारा उपनिरीक्षक की वर्दी पहन कर वादी से डेढ़ वर्ष पूर्व नौकरी लगवाने की बात कहकर धोखाधड़ी की गयी तथा दिनांक 18.11.2023 को जब वह अपनी गाड़ी लेकर गंगनहर के रास्ते जा रहे थे तो उपनिरीक्षक की वर्दी पहनकर गाड़ी में बैठकर वादी से अवैध रुप से पैसे की मांग करने लगा। थाना निवाड़ी पुलिस द्वारा तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर उक्त अभियुक्त शिवकुमार पुत्र रामप्रसाद निवासी ग्राम माछरा थाना किठोर जनपद मेरठ उम्र 55 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

अपराध कारित करने का तरिका- अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है जो उपनिरीक्षक की वर्दी पहनकर लोगो को अपने झांसे में लेकर नौकरी लगवाने के नाम पर ठगी करता है तथा वर्दी पहनकर कर अवैध वसूली जैसा अपराध कारित करता है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-
शिवकुमार पुत्र रामप्रसाद नि0 ग्राम माछरा थाना किठोर जनपद मेरठ उम्र 55 वर्ष,

बरामदगी का विवरण-
एक जोडी उपनिरीक्षक की वर्दी, एक पीकेप, एक जोडी लाल जूते

गिरफ्तार करने वाली टीमः-
थाना निवाड़ी पुलिस टीम।

थाना कौशांबी पुलिस द्वारा 10000 रू0 का ईनामी अभियुक्त गिरफ्तार।

थाना कौशांबी पर दिनांक 16.08.2023 को वादी गौरव गुप्ता पुत्र अशोक कुमार गुप्ता नि0 राजेन्द्र नगर, गाजियाबाद की लिखित तहरीर के आधार पर आर्म्स एक्ट व वन्य जीव प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया था। उक्त अभियोग में वाँछित 10000रू0 के ईनामी अभियुक्त तोफीक पुत्र सफीक खांन नि0 म0नं0 89 बी सराय जहागीर विलासपुर गेट रामपुर उ0प्र0 को थाना कौशांबी पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर खास की सूचना के आधार पर कौशांबी बस स्टैण्ड के पास से दिनांक 18.11.2023 को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त उपरोक्त को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पताः –
तोफीक पुत्र सफीक खांन नि0 म0नं0 89 बी सराय जहागीर विलासपुर गेट रामपुर उ0प्र0।

अभियुक्त के आपराधिक इतिहास का विवरणः-

वन्य जीव प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 व 11(1)(ए) पशु क्रूरता अधिनियम के अन्तर्गत थाना शास्त्री पार्क उत्तरी दिल्ली में एक अभियोग पंजीकृत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

थाना कौशाबी पुलिस टीम